राजस्थान सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर–302015

फोन नम्बर 0141–2973804 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक : पैरामेडि.कौं / 2019 / 815 दिनांक :– 26/04/2019

परिपत्र

विषय : राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता व संबद्धता प्राप्त निजी पैरा मेडिकल संस्थानों द्वारा उनके संस्थान की वैबसाइट बनवाये जाने तथा इसमें समस्त सूचनाएं प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

ऐसा ध्यान में लाया गया है कि राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता व संबद्धता प्राप्त कई निजी पैरामेडिकल संस्थानों द्वारा उनके संस्थान की वैबसाइट संधारित नहीं की जा रही है, जिससे संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक तथा पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों / उनके अभिभावकों / आमजन को इन संस्थानों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए Voluntary Disclosure व सूचना संप्रेषण हेतु संस्थान की वैबसाइट से उपयुक्त अन्य कोई माध्यम नहीं हो सकता, जिससे विद्यार्थियों / अभिभावकों / आमजन को संस्थान के संबंध में समस्त जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो।

अतः राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से मान्यता व संबद्धता प्राप्त समस्त निजी पैरामेडिकल संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक माह के भीतर अपने संस्थान की वैबसाइट विकसित कर उसे Public domain में host करवायें तथा उसके URL की सूचना कौंसिल को प्रेषित करावें। इस वैबसाइट में संस्थान से संबंधित समस्त सूचना, संचालित कोर्सेज का विवरण, प्रत्येक कोर्स में सीटों की संख्या व ली जाने वाली फीस का विवरण, संस्थान द्वारा संधारित infrastructure (यथा संबंधित समस्त जानकारी, संस्थान में कार्यरत समस्त शैक्षिक व अशैक्षिक स्टाफ की सूची मय उनका आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, ईमेल पता आदि (पूर्व में उपलब्ध कराये गये प्रारूप में) (Excel Format में), संस्थान से सम्पर्क किये जाने हेतु कॉलेज का पूर्ण पता, फोन नम्बर, ईमेल पता आदि व इस आशय हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर व ईमेल पता आदि अन्य समस्त सूचना विस्तृत रूप से उपलब्ध कराई जावे, ताकि विद्यार्थियों को संस्थान के संबंध में समस्त जानकारी पारदर्शी रूप से वैबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हो सके। समस्त संस्थानों की वैबसाइट के URL की सूचना कौंसिल की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। साथ ही इस वैबसाइट में एक Greivance Redressal Module भी विकसित किया जावे, जिसमें छात्रों की शिकायतें संस्थान की वैबसाइट पर ही onlilne प्राप्त की जाकर संबंधित छात्र / शिकायतकर्ता को उसकी पावती acknowledgement onlilne generate की जाकर प्रदत्त की जाकर उनका निस्तारण किया जावेगा तथा किये गये निस्तारण से छात्र / शिकायतकर्ता को online/email के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। संबंधित संस्थान द्वारा इस निस्तारण का लेखा–जोखा मासिक रूप से संधारित किया जायेगा तथा सबंधित संस्थान कौंसिल को हर तिमाही इस लेखे की विस्तृत सूचना प्रेषित करेंगे। इस Greivance Redressal Module को संस्थान की वैबसाइट के Homepage पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

समस्त पैरामेडिकल संस्थान इन निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित कर पत्र जारी होने के एक माह की अवधि के भीतर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल को अपने संस्थान की वैबसाइट की URL से अवगत करावें।

26/4/19

815 26/04/2019 (सोमदत्त दीक्षित)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
2. प्रिंसीपल, समस्त संबद्ध पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान राजस्थान
3. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को कौंसिल की वैबसाइट पर प्रकाशन व समस्त संबद्ध पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थानों को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करें।
4. रक्षित पत्रावली

26/4/19
रजिस्ट्रार